राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सीकर
कलेक्ट्रट परिसर, सीकर

फोन 01572 – 250015 ईमेल – sikar.we@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– 405 दिनांक :– 15-07-2021

विज्ञप्ति संख्या 01/2021–22

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिनों के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता सीकर के कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है–

क्र. सं	पंचायत समिति/परियोजना	रिक्त पद	ग्राम पंचायत का नाम
1	फतेहपुर	08	बलोदछोटी, बलोद भाखरा, दाडुण्दा, हरसावा बड़ा, हेतमसर, कारंगा बड़ा,ताखलसर,माण्डेला बड़ा,
2	लक्ष्मणगढ़	08	बीदसर, डुडवा, घुस्सू, खीरवा, मानासी, रोरू बडी, खेड़ी राडान, रिणु
3	नेछवा	03	मीरण,झाझड़,तूनवा,
4	धोद	08	भैरूपुरा,पुराछोटी,सबलपुरा,सेवा,टाटनवा,ताजसर खेजडोलियां,जाचास, चिड़ासरा
5	नीमकाथाना	03	आगरी, गोड़ावास, हरजनपुरा
6	पाटन	01	राजपुरा
7	पिपराली	01	सकराय
8	पलसाना	05	अजबपुरा, लाड़पुर, सामेर, सुजावास, लढ़ाणा
9	श्रीमाधोपुर	02	नागंल भीम, सिमारला जागीर
10	दांतारामगढ़	04	बनाथंला,राजपुरा(नोसल),मगनपुरा, करणपुरा
11	खण्डेला	04	आभावास,गढ़भोपजी,पिपलोदा का बास,गोकुल का बास

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर रही है। उसी ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। तथा आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य हैं।
2. साथिन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण एवं विवाहित होना अनिवार्य है।उक्त मानदेय कर्मी साथिन पद पूर्णतः स्वैच्छिक है एवं विभागीय परिपत्र 22430 दिनांक 05.07.2017 संशोधित परिपत्र 26652 दिनांक 04.09.2019 एंव 25622 दिनांक28.10.2020 एंव 30366 दिनांक17.12.2020 शर्तो व विभागीय निर्देशों के अध्याधीन है।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग 21–35 वर्ष, अनुसूचित जाति/जन–जाति 21–40 वर्ष एंव विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता के लिए 21–45 वर्ष होनी चाहिए।
4. आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण पत्र/ आयु प्रमाण–पत्र/विवाह प्रमाण–पत्र/विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता संबंधी दस्तावेज/आर.एस.सी.आई.टी. प्रमाण–पत्र/कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र/बी.पी.एल. कार्ड की प्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे तथा पूर्व आवेदन प्रपत्र व संलग्नकों पर पृष्ठ संख्या अवश्य दर्ज करें। सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा लेकिन एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नही है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा तब पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। एक वर्ष पुराना प्रमाण पत्र होने पर उक्त शपथ पत्र लगाना होगा
5. चयन परिपत्र के परिशिष्ट"ब" पर दिये गए मूल्यांकनप प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार होगा।

Scanned by CamScanner

6. आवेदन फार्म सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सीकर के कार्यालय या विभागीय वेबसाईट http://www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।

7. जिन ग्राम पंचायतों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है। इस संबंध मे आवेदक को सम्बधित वर्ग का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप में संलग्न करना होगा। उन ग्राम पंचायतों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किये जाने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र चयन प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत द्वारा अंकित किया जाना अनिवार्य होगा

8. ग्राम साथिन चयन हेतु परिपत्र क्रमांक 22430 दिनांक 05.07.2017 की समस्त शर्ते लागू होगी जो विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते है।

9. योग्य महिला अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र (2 प्रतियों) में सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सीकर कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक 29.07.2021 को सांय 5 बजे तक जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। अंतिम तिथि पश्चात किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नही किए जाएगे।

10. एक बार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा दस्तावेज संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सीकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते है

(हस्ताक्षर)

(डॉ. अनुराधा सक्सेना)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
सीकर

क्रमांकः– 4806-15

दिनांकः– 15-07-2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त , महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
2. मुख्य कार्याकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद सीकर को भेजकर निवेदन है कि साथिनों के रिक्त पद भरे जाने हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायतो पर शीघ्र ग्राम सभा के आयोजन हेतु विकास अधिकारियो को निर्देशित कराने का श्रम करावे।
3. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सीकर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को भेजकर एक निवेदन है कि रिक्त साथिन पद पर चयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजन बाबत आदेश 7 दिवस में ग्राम सभा आयोजन की तिथि जारी करने का कष्ट करावें तथा साथिन चयन को ग्राम सभा के एजेण्डा में शामिल करवायें एंव ग्राम सभा के लिए ग्राम सभा प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने व क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्यों को भी ग्राम सभा में भाग लेने हेतु आंमत्रित करने की कार्यवाही करावें।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त जिला सीकर।
6. महिला सुपरवाईजर समस्त जिला सीकर को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चिपका कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।
7. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत...को व्यापक, प्रचार–प्रसार हेतु।
8. प्रोगामर, महिला अधिकारिता राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
9. संपादक, दैनिक भास्कर, सीकर को भेजकर निवेदन है कि जिले के स्थानीय संस्करण में डीपीआर दरों पर न्यूनतम साइज में प्रकाशन कराने का श्रम करे।
10. कार्यालय साथिन पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग

Scanned by CamScanner